



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-541

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 308064 दिनांक 25/06/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Yashpal Saran S/o Balbeer Singh Saran	श्रीमती अनुपमा पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	89	200.00 SQ. YARD	Private	SHRI RAM VIHAR (VILLAGE-JAIPURA)	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	आवेदक श्री यशपाल सारण पुत्र श्री बलवीर सिंह सारण निजी खातेदारी की योजना श्री राम विहार (ग्राम जयपुरा) के भूखण्ड संख्या 89 क्षेत्रफल 200 व.ग. के लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टे हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या 89 क्षेत्रफल 200 व.ग. लीजडीड दिनांक 12.07.2012 को श्रीमती अनुपमा पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा के पक्ष में जारी की गई है। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 89 क्षेत्रफल 200 व.ग. को श्रीमती अनुपमा पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा जरिये पंजीकृत



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

मुखत्यारनामा
आम दिनांक
14.08.2023 को
श्री सुरेश शर्मा पुत्र
स्व. श्री बाबूलाल
शर्मा को
मुखत्यारनामा
आम नियुक्त
किया गया।
तत्पश्चात उक्त
भूखण्ड संख्या 89
क्षेत्रफल 200
व.ग. को श्री सुरेश
शर्मा पुत्र स्व. श्री
बाबूलाल शर्मा
द्वारा जरिये
पंजीकृत विक्रय
पत्र दिनांक
24.08.2023 को
श्री यशपाल सारण
पुत्र श्री बलवीर
सिंह सारण को
बेचान किया गया।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Yashpal Saran S/o Balbeer Singh Saran को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004